HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर **दिनांक 13.03.2026**

- **थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने की घटना में संलिप्त हत्यारोपी पति सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल छुरी बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त आकिब व मृतका समरीन की लव मैरिज हुई थी, दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त आकिब द्वारा अपने दोस्त आकिब के साथ मिलकर छुरी से पत्नी का गला रेतकर हत्या की घटना कारित की थी।**

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 119/2026 धारा 85, 80, 238 बीएनएस, 3/4 दहेज अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित हत्यारोपी पति सहित 03 अभियुक्तों को बागडपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल छुरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आकिब पुत्र अनीस निवासी मौ0 ब्राह्मणों की चौपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2. अनीस पुत्र तकी निवासी मौ0 ब्राह्मणों की चौपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3. आकिब पुत्र महबूब निवासी मौ0 ब्राह्मणों की चौपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरी।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आकिब पुत्र अनीस की शादी 5 जनवरी 2026 को समरीन (मृतका) के साथ लव मैरिज हुई थी, आकिब के पिता अनीस इस शादी से खुश नही था, अतिरिक्त दहेज से रुप में 05 लाख रुपये की मांग करता था तथा दहेज की मांग को लेकर अनीस, समरीन के साथ लडाई-झगडा करता था। आकिब पुत्र अनीस का दोस्त आकिब पुत्र महबूब द्वारा भी आकिब से 05 लाख रुपये दहेज में पत्नी ने भी लाने को कहा जिससे की हम दोनों मिलकर एक होटल खोलेगे। दहेज ना लाने को लेकर आकिब पुत्र अनीस व उसकी पत्नी समरीन का आये दिन झगडा होता रहता था। घटना से पहले अभियुक्त आकिब पुत्र अनीस व आकिब पुत्र महबूब बहादुरगढ में आकिब पुत्र महबूब की मां के पास आये थे। दिनांक 05.03.2026 को आकिब पुत्र अनीस अपनी पत्नी समरीन व अपने दोस्त आकिब पुत्र महबूब के साथ बहादुरगढ से वापस आ रहे थे कि रास्ते में आकिब व उसके दोस्त आकिब पुत्र महबूब के द्वारा गाँव फुलडी की ईदगाह के पास गन्ने के खेत में छुरी से समरीन की गला रेत कर हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छोडकर भाग गये थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
4. उ0नि0 श्री राहुल अत्री थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
5. है0का0 307 कंचन सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
6. है0का0 660 मनीष कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
7. का0 950 गोपाल थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।